

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 77 वाहनों से 84,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 77 वाहनों से 84,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ अप्राकृति**

दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 92/2025 धारा 137(2), 65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता सोनू उर्फ राशिद अली पुत्र मनौवर ग्राम लेदवा श्रीपाल थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 24.03.2025 को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 23.03.2025 को थाना बखिरा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को घर से भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 24.03.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, हे0का0 संतोष सिंह।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित

अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राज शेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 68/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता रविन्द्र सिंह उर्फ अतुल सिंह पुत्र रवि प्रकाश सिंह निवासी गायघाट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 17.03.2025 को थाना महुली पर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 24.03.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विरेन्द्र मिश्र, हे0का0 जुबेर अली, का0 अमरजीत यादव।